संख्याः15/2025/412ई-2/तेरह-2025-248925

प्रेषक,

दुर्गा सिंह

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः12 दिनांक मार्च, 2025

विषयः मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि., सण्डीला, जनपद-हरदोई की क्षमता 55 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 192.5 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 66 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 231 लाख लीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी-126/दो-प्रा.डी-166/मे. श्री गंग, दिनांक 27-02-2025 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-03-2025 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत संख्या 34ई 2/तेरह-2025-248925, दिनांक 07-01-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-02-2025 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि., प्लाट नं. बी-2/6 एवं बी-2/7, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-4, लखनऊ, हरदोई रोड, सण्डीला, जनपद-हरदोई द्वारा वाश में अल्कोहल प्रतिशत बढ़ने तथा अच्छी गुणवता की यीस्ट का प्रयोग किये जाने पर 55 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 192.5 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 66 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 231 लाख लीटर, जिसके अन्तर्गत 90 प्रतिशत अर्थात 207.90 लाख लीटर वार्षिक पेय क्षमता तथा शेष 10 प्रतिशत अर्थात् 23.10 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है कि आसवनी इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन), नियमावली, 2019 एवं (आसवनी की स्थापना) (सोलहवां संशोधन), नियमावाली, 2022 में उल्लिखित शर्तों

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन की दशा में शासनादेश संख्या:33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों एवं नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रकरण में लैब रिपोर्ट का विश्लेषण प्रति सप्ताह कराया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तविक रूप से आसवक द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी के माध्यम से किया गया क्लेम कि पूर्व में आसवनी 12 प्रतिशत अल्कोहल रिकवरी होती थी, लेकिन अच्छी गुणवता की यीस्ट एवं एन्जाइम का प्रयोग करने पर आसवनी में अल्कोहल 14-15 प्रतिशत तक पाया जा रहा है, सही है तथा सम्बन्धित आसवनी द्वारा आबकारी विभाग के तकनीकी मैनुवल के स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए ही उत्पादन किया जा रहा है। लैब रिपोर्ट का विश्लेषण प्रति सप्ताह सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी द्वारा लैब से कराते हुए किसी भी प्रकार के वैरिएशन को आबकारी आयुक्त को अवगत कराया जायेगा और रिकवरी में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही की जायेगी। आसवनी के उच्च स्तरीय निरीक्षण में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता संज्ञानित होती है, तो आबकारी आयुक्त के द्वारा सम्बन्धित आसवनी के साथ सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लैब रिपोर्ट तथा उसका विश्लेषण साप्ताहिक रूप से शासन को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) आबकारी आयुक्त द्वारा आसवक से बढ़ी हुयी क्षमता पर अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा।

(4) ग्रेन आसवनियों में प्रयुक्त किये जा रहे अनाज के आटे के नमूने नियमित अन्तराल पर परीक्षणार्थ विभाग की प्रयोगशाला भेजे जायेंगे तथा समयान्तर्गत परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी एवं तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से निर्गत सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) आसवनी द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(7) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त. उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः15/2025/412(1)-ई-2/तेरह-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in